

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के रांग/कैम्प कोर्ट 2021)
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान	रामकुमार झाडि
बनाम	1. रामकुमार झाडि सुरजा
	2. गुब्बारीराम पुत्री झाडि रामकुमार (पुत्री)
	3. सीमा पुत्री रामकुमार झाडि
	4. मन्जु पुत्री रामकुमार झाडि
	वि० सरडापुराकास भाडरा

काठुराम झाडि
गुब्बारीराम सरडापुराकास भाडरा

दावा बाबत :- घोषणात्मक

मुकदमा नम्बर :- 162/2021

निर्णय दिनांक :- 12.10.2021

वादी की ओर से वकील सुरेन्द्र कुमार मीन की व प्रतिवादी सं० 1104 की ओर से वकील ताराचन्द मोहसल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12/10/21

को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

चउ 9 BHD के खाता सं० 126/123 के मु० नं० 10 के किला नं० 13/1, 14/1, 17/1, 24/1 की 0.359 हेक्टेयर नदरी व चउ 10 BHD के खाता सं० 89/118 के मु० नं० 46 के किला नं० 11/2, मु० नं० 47 के किला नं० 6 ता 9, 15, मु० नं० 55 के किला नं० 25, मु० नं० 60 के किला नं० 8/2, 9/2, 12-13 कुल 2.367 हेक्टेयर नदरी सरडापुराकास के खाता सं० 25/10 के मु० नं० 19 के किला नं० 11/1, 12/2, 13/1, 14/2, 17/1, 18/2, 19/1, 20/2, मु० नं० 20 किला नं० 15/2, 16/1 कुल 0.915 हेक्टेयर ज्वातेदारी जो प्रतिवादी रामकुमार के नाम डर है व चउ सरडापुराकास के खाता सं० 9/26 के मु० नं० 19 के किला नं० 21 ता 23, मु० नं० 20 किला नं० 17 ता 19, 22 ता 25, मु० नं० 21 किला नं० 3 ता 5, मु० नं० 22 के किला नं० 1 ता 3 की कुल 3.035 हेक्टेयर में प्रतिवादी रामकुमार के नाम जो 14 हिस्सा डर है, उसमें प्रतिवादी सं० 1, 3, 4 ने अपना लउ हिस्सा वसी व प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में लउ किला थी इसलिए कुल वाउ डर के वाउ व प्रतिवादी सं० 2 को कटिफ उ कडगा पारेडा कइतका घोषित डिजा जाता है। वाउ घोषणा राजस्व रिवाड में प्रतिवादी सं० 1 का नाम कलमजुग डिजा जावे लउ लुगा मित्र गये हिस्सा पर विपककुमा स्टाम्प डरती पेप डरते खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

के उपरान्त पामन इजाड जावे यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़